



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद संख्या 19/2017

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. हीरा पुत्री स्व. छीतर, पत्नि रामधन गूर्जर ♠बनाम♠  
निवासी सदारा तहसील सावर जिला  
सत्यअजमेरराज

1 श्रीमति सांवरा पुत्री स्व. छीतर पत्नि हरिराम गूर्जर  
निवासी सदारा हाल निवासी कासीर तहसील सरवाड  
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी

## वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, राज. काश्तकारी अधिनियम आदेश

पूर्व निर्णय दिनांक 20.06.2017

तहसीलदार सावर द्वारा उनवानी प्रकरण में बटवारा प्रस्ताव पेश किया है जिसका अवलोकन किया। प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव के साथ पूर्व निर्णय डिक्री दिनांक 20.06.2017 की निर्णय डिक्री व राजीनामें की प्रति संलग्न का अवलोकन किया गया। पत्रावली रिकॉर्ड से बरामद की गई। उक्त निर्णय डिक्री लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प सदारा में निर्णित की गई थी जो वर्तमान में पेशी पर नहीं होने से मूल पत्रावली रिकॉर्ड से बरामद की गई। पत्रावली पुनः दर्ज की गई जो आज दिनांक 16.05.2018 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प बाजटा में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित है। उपस्थित पक्षकारान को प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव पढकर सुनाया गया, प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान ने स्वीकार किया है जिनके हस्ताक्षर बटवारा प्रस्ताव पर अंकित है।

अतः ग्राम सदारा तहसील सावर जिला अजमेर की खाता संख्या 473 में वर्णित आराजी कुल किता खसरा नम्बर 4 कुल किता रकबा 1.22 हैक्ट. का पक्षकारान में निम्नानुसार बटवारा किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	लगान
1	हीरा पुत्री छीतर गुजर सा.देह. खातेदार	880मूल 890मूल 891मूल 898मूल 1171मूल 1172मूल	0.17 0.72 0.07 0.46 0.65 0.05	85.42
		किता 6	कुल रकबा 2.12	
2	सांवरी पुत्री छीतर गुजर सा.देह खातेदार	880/1 890/1 891/1 898/1 1171/1 1172/1	0.18 0.72 0.06 0.46 0.66 0.03	
		किता 6	कुल रकबा 2.11	
3.	हीरा सांवरी पुत्रिया छीतर गुजर सा.देह खातेदार	889	0.01 किस्म गै. मु.चाह	

उपरोक्तानुसार वादग्रस्त आराजी का कुल सरह लगान 85.42 रूपये के 35 गुणा से 2990 रूपये का 5 प्रतिशत से 150 रूपये के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पेश करने पर अंतिम डिक्री जारी की जावे। पत्रावली पुनः फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
केकडी

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी केकडी

राजस्व वाद संख्या 19/2017

1. हीरा पुत्री स्व. छीतर, पत्नि रामधन गूर्जर ♠बनाम♠ 1 श्रीमति सांवरा पुत्री स्व. छीतर पत्नि हरिराम गूर्जर  
निवासी सदारा तहसील सावर जिला निवासी सदारा हाल निवासी कासीर तहसील सरवाड  
अजमेर राज 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी

अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16.5.2018	<p>पत्रावली में तहसीलदार सावर द्वारा केम्प कोर्ट बाजटा में उनवानी प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव पेश किया जिसका अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव से संबंधित पत्रावली पूर्व दिनांक 20.7.2017 में प्रारम्भिक डिक्री जारी होना प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव से जाहिर हुआ। मूल पत्रावली तलब की गयी पूर्व दिनांक 20.7.2017 को सहवन से फैसलशुमार कर दी गयी है जबकि वादि का दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राज.काश्तकारी अधि. का होने से तारीख पेशी पर होनी थी। पत्रावली रिकॉर्ड से बरामद की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। मूल पत्रावली में वाद पत्र में वादिया व प्रतिवादी के पिता का नाम हीरा अंकित है जबकि मल पत्रावली के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी में वादीया व प्रतिवादी के पिता का नाम छीतर अंकित होना पाया गया जो एक लिपिकीय त्रुटि है प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी में भी वादी व प्रतिवादी के पिता का नाम छीतर होना पाया गया जिसकी मजमें आम में जांच की गई। वादिया व प्रतिवादी द्वारा उनके पिता का नाम छीतर होने के क्रम में वादीया व प्रतिवादीया की पहचान बाबत भामाशाह की रसीद, आधार कार्ड, पहचान कार्ड की प्रतिया संलग्न की है। अतः मजमे आम प्राप्त जानकारी के अनुसार वादिया व प्रतिवादी के पिता का नाम छीतर होना जाहिर होने से प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव उपस्थित पक्षकारान को सुनाया गया। उपस्थित पक्षकारान ने प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव को स्वीकार किया है।</p> <p>अतः वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सदारा तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी स0 2073-76 के खाता स. 519 में दर्ज आराजी का पक्षकारान में निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है:-</p>	

.क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	लगान
	हीरा पुत्री छीतर गुजर सा.देह.खातेदार	880मूल 890मूल 891मूल 898मूल 1171मूल 1172मूल	0.17 0.72 0.07 0.46 0.65 0.05	85.42
		किता 6	कुल रकबा 2.12	
2	सांवरी पुत्री छीतर गुजर सा.देह खातेदार	880 / 1 890 / 1 891 / 1 898 / 1 1171 / 1 1172 / 1	0.18 0.72 0.06 0.46 0.66 0.03	
		किता 6	कुल रकबा 2.11	
3.	हीरा सांवरी पुत्रिया छीतर गुजर सा.देह खातेदार	889	0.01 किस्म गै. मु.चाह	

उपरोक्तानुसार वादग्रस्त आराजी का कुल सरह लगान 85.42 रूपये के 35 गुणा से 2990 रूपये का 5 प्रतिशत से 150 रूपये के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पेश करने पर अंतिम डिक्री जारी की जावे। पत्रावली पुनः फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
केकडी